



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26112022-240605
CG-DL-E-26112022-240605

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 292]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 25, 2022/अग्रहायण 4, 1944

No. 292]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 25, 2022/AGRAHAYANA 4, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2022

सं. 38/2015-2020

विषय: गेहूँ के आटे (आटा) के निर्यात के लिए ई-136 पर नए मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिओन) का निर्धारण, सिओन ई-110 को हटाना, परिशिष्ट 4जे में संशोधन और प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के तहत नए पैरा 4.05 (iii) को शामिल करना।

फा. सं. 01/94/180/157/एएम-22/पीसी-4.—विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.13 के प्रावधानों के अनुसार और समय-समय पर यथा-संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-2020 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

- मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिओन) ई-110 को हटाया जाता है।
- खाद्य उत्पाद श्रेणी में नए सिओन को निम्नानुसार शामिल किया जाता है:

सिओन	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	मात्रा
ई-136	गेहूँ का आटा	1.00 कि.ग्रा.	गेहूँ	1.07 कि.ग्रा.

टिप्पणी: इस सिओन के उद्देश्य हेतु 'गेहूँ का आटा (आटा)' का तात्पर्य 'साबुत गेहूँ के आटे (आटा)' से है और इसे अग्रिम प्राधिकार पत्र हेतु आवेदन करते समय तकनीकी विशेषता के रूप में पृष्ठांकित किया जाना है।

3. इस सिओन के तहत अग्रिम प्राधिकार-पत्र (एए) निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं:

- अग्रिम प्राधिकार-पत्र (एए) केवल आटा मिलर्स को जारी किया जाएगा।
- अग्रिम प्राधिकार-पत्र पूर्व आयात शर्तों के साथ जारी किया जाएगा।
- सिओन की वैधता तभी तक है जब तक 'गेहूं' निर्यात हेतु निषिद्ध है। इसके बाद सिओन के तहत कोई भी अग्रिम प्राधिकार-पत्र जारी नहीं किया जाएगा। पहले जारी किया गया अग्रिम प्राधिकार-पत्र (एए) सामान्यतः प्रचालन हेतु जारी रहेगा।
- प्रविष्टि बिल जिसके तहत आयात किया जाना है को निर्यात को अनुमत करते हुए सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
- घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) से गेहूं की खरीद अग्रिम प्राधिकार-पत्र के तहत किसी भी मामले में अनुमान्य नहीं होगी।

4. परिशिष्ट 4जे में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

क्र.सं.	आयात मद (मर्दे)	सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा आयात की प्रत्येक खेप की निकासी की तिथि से पूर्व आयात शर्तों के साथ निर्यात दायित्व अवधि
14.	गेहूं	180 दिन

5. उप-पैरा 4.05 (ii) के उपरान्त एक नए उप-पैरा 04.05 (iii) को निम्नानुसार शामिल किया गया है:

अग्रिम प्राधिकार-पत्र स्कीम के अंतर्गत "गेहूं के आटे (आटा)" के निर्यात को अनुमत किया गया है बशर्ते कि गेहूं की आयात-पूर्व शर्तों को केवल सिओन के अधीन अधिसूचित किया गया हो। गेहूं के किसी घरेलू/स्वदेशी स्रोत की अनुमति नहीं है और अमान्यता पत्र/एआरओ की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस मामले में तृतीय पक्ष को निर्यात भी अनुमत नहीं होगा। केवल ईडीआई पत्तनों के माध्यम से आयात और निर्यात की अनुमति होगी। गेहूं हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र के निर्यात दायित्व अवधि (ईओपी) प्रत्येक आयात खेप की निकासी की तिथि से 180 दिनों के लिए होगी तथा निर्यात दायित्व की अवधि में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। ऐसा आयात वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन होगा तथा जॉब कार्य सहित किसी प्रयोजन के लिए आयातित गेहूं का अंतरण नहीं किया जाएगा। निर्यात दायित्व पूरा नहीं किए जाने/निर्धारित मूल्य वर्धन प्राप्त नहीं किए जाने के मामले में, लागू शुल्क और ब्याज के भुगतान के अलावा आयातित माल के सीआईएफ मूल्य के पांच गुना के बराबर जुर्माना जो निर्यात दायित्व में कमी के अनुरूप हो, लगाया जाएगा। प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.49 के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होंगे।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

सिओन-ई 110 हटा दिया गया है। अग्रिम प्राधिकार-पत्र स्कीम के तहत गेहूं के आटे (आटा) का निर्यात की अनुमति है। तदनुसार एक नया सिओन अधिसूचित किया गया है और 'गेहूं' के आयात को पूर्व आयात शर्त के साथ परिशिष्ट 4जे के तहत रखा गया है। ऐसे अग्रिम प्राधिकार पत्र के मामले में घरेलू खरीद की अनुमति नहीं है।

संतोष कुमार सांरगी, महानिदेशक विदेश व्यापार

एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 25th November, 2022

No. 38/2015-2020

Subject:- Fixation of new Standard Input Output Norms (SION) at E-136 for export of wheat flour (Atta), deletion of SION E-110, amendment in Appendix 4J and insertion of new para 4.05 (iii) under Handbook of Procedures 2015-20- reg.

F. No. 01/94/180/157/AM-22/PC-4.—In exercise of the powers conferred under paragraph 1.03 & 2.04 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2015-2020, as amended from time to time, and as per provision of paragraph 4.13 of Foreign Trade Policy, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments:

1. The Standard Input Output Norms (SION) E-110 stands deleted.
2. A new SION in food products category is inserted as under:

SION	Export Item	Quantity	Import Item	Quantity
E-136	Wheat Flour (Atta)	1.00 Kg.	Wheat	1.07 Kg.

Note: For the purpose of this SION, 'wheat flour (atta)' implies to 'whole wheat flour (atta)' and the same is to be endorsed as technical characteristic while applying for the Advance Authorization.

3. The Advance Authorization (AA) under this SION is subject to the following conditions:
 - i. The Advance Authorization (AA) shall be issued only to flour millers.
 - ii. The AA shall be issued with pre-import condition.
 - iii. The SION is valid until 'wheat' is prohibited for exports. Thereafter, no further AA will be issued under the SION. AAs already issued will continue to operate in the normal course.
 - iv. The Bills of Entry against which wheat has been imported shall be confirmed by Custom Authorities while allowing exports.
 - v. Procurement of wheat from Domestic Tariff Area (DTA) is not permissible in any case against the Advance Authorization.
4. The following amendment is made in Appendix 4J:

Serial No.	Import Item(s)	Export Obligation Period with pre-import condition from the date of clearance of each import consignment by Customs Authority
14.	Wheat	180 days

5. After sub para 4.05 (ii) a new sub-para 4.05 (iii) is introduced as under:

“Wheat Flour (Atta)” is permitted to be exported under the Advance Authorization Scheme, subject to pre-import condition of wheat under the notified SION only. No domestic/ indigenous sourcing of wheat is permitted and the invalidation letter/ARO facility is not available. Third party exports are also not allowed in this case. Import and Export would be permitted only through EDI enabled ports. The Export Obligation period (EOP) of Advance Authorization for wheat shall be 180 days from the date of clearance of each import consignment and no extension in EOP shall be allowed. Such import shall be subject to actual user condition and no transfer of imported wheat for any purpose, including job work, shall be permitted. In case of non-fulfilment of EO/ non-achievement of stipulated value addition, a penalty equal to five times of the CIF value of the imported material, corresponding to the shortfall in EO, shall be imposed in addition to the payment of applicable duty and interest. Provisions of Paragraph 4.49 of Handbook of Procedures shall not be applicable in this case.

Effect of this Public Notice:

The SION-E110 stands deleted. The export of wheat flour (atta) is allowed under Advance Authorization Scheme. Accordingly, a new SION has been notified and import of 'Wheat' is placed under Appendix 4J with pre-import condition. Domestic procurement is not allowed in case of such Advance Authorization.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.